1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी

निग/मुरैना/2017/2743

श्री विनोद श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 21-8-017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. मोहन सिंह आयु 63 साल
2. बुन्देल सिह आयु 59 साल
3. कमल सिंह आयु 51 साल
   पुत्रगण रामचन्द्र
4. रघुवीर सिंह आयु 33 साल पुत्र बुन्देल सिंह जाति धाकड किरार निवासीगण गाम सुगनाखेडी तहसील सिरोंज जिला विदिशा

.... आवेदकगण

बनाम

1. शिवचरण आयु 36 वर्ष
2. नारायण सिंह आयु 32 साल
3. बलवंत सिंह आयु 22 साल
4. लेखराज सिंह आयु 20 साल
   पुत्रगण फूल सिंह जाति किरार
5. पूना बाई बेबा फूल सिंह आयु 65 साल निवासीगण ग्राम सुगनाखेडी तहसील सिरोंज जिला विदिशा
6. अनीता बाई पुत्री फूल सिंह पत्नी जनवेद सिंह आयु 27 साल निवासीगण ग्राम बरेण्डा तहसील सिरोज

.... अनावेदकगण

7. बनियाबाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी दौलतराम आयु 56 साल , निवासी ग्राम हिनौतिया तहसील आरोन जिला विदिशा

8. लुडको बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी अमान सिंह आयु 61 साल जाति धाकड किरार निवासी गाम धरगा तहसील लटेरी
9. शांति बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी पूरन सिंह आयु 53 साल ,, निवासी ग्राम आमखेडा तहसील लटेरी जिला विदिशा

.... प्रोफार्मा पक्षकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 75/ अपील/ 2014– 15 में पारित आदेश दिनांक 29.7.2017 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय ,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर बताया गया कि ग्राम सुगनाखेडी में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 297 रकवा 0.025 हेक्टर अनावेदकगण के पिता फूल सिंह एक मात्र भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि थी । फूल सिंह का स्वर्गवास होने पर उक्त भूमि आवेदकगण नेअपने नाम करा ली । जबकि उक्त भूमि के भूमि स्वामी नही थी। अनावेदकगण स्वर्गीय फूल सिंह के उत्तराधिकारी होने के कारण हितबद्व पक्षकार है। अनावेदकगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे साथ ही आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि विधान का प्रस्तुत किया गया ।
2. यहकि, आवेदगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया कि अनावेदकगण के पिता फल सिंह पुत्र सनमान सिंह भूमि सर्वे नम्बर 297 रकवा 0.025 हेक्टर भूमि

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/2743

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	